

प्रेस-विज्ञप्तिथाना कन्धरापुरदुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरण- दिनांक 05.09.2023 को आवेदिका/पीड़िता थाना कन्धरापुर जिला आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया कि दिनांक 01.09.2023 को विपक्षी कमलेश द्वारा घर में घुसकर पीड़िता/आवेदिका से दुष्कर्म किया गया तथा मना करने पर जान से मारने की धमकी दिया गया, के सम्बन्ध में, मु0अ0स0 249/2023 धारा 376/452/504/506 भादवि पंजीकृत हुआ जिसे दिनांक 06.09.2023 समय 09.10 बजे गिरफ्तार किया गया है।

दिनांक 06.09.2023 को उ0नि0 शंकर कुमार यादव मय हमराह द्वारा मु0अ0स0 249/2023 धारा धारा 376/452/504/506 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त कमलेश निषाद पुत्र अवधु निषाद निवासी गयासपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ को खैरुद्दीनपुर पुलिया के पास से समय 09.10 बजे खैरुद्दीनपुर पुलिया से हिरासत में लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1-कमलेश निषाद पुत्र अवधु निषाद निवासी गयासपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0स0 249/2023 धारा 376/452/504/506 भादवि थाना कन्धरापुर, आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

2. उ0नि0 शंकर कुमार यादव थाना कन्धरापुर आजमगढ़

3. हे0का0 भानू यादव थाना कन्धरापुर आजमगढ़

4. का0 अमित कुमार थाना कन्धरापुर आजमगढ़

थाना कन्धरापुरमारपीट कर गम्भीर रूप से घायल करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरण- दिनांक 04.09.2023 को वादी चिथरु यादव पुत्र स्व0 विक्रम यादव ग्राम फुलेहरा थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया कि विपक्षी चन्दन यादव द्वारा वादी के भाई की पत्नी कौशिल्या देवी पत्नी पथरू यादव को दिनांक 03.09.2023 की रात्रि 11.00 बजे के करीब अनायाश ही वाद विवाद मे बास के डण्डे से सिर मे मार दिया जिससे आवेदक की भाई की पत्नी श्रीमती कौशिल्या देवी बेहोश हो गई जिनका इलाज हेतु जिला अस्पताल आजमगढ़ ले जाया गया जहां से हालत गम्भीर देखते हुए वेदान्ता हास्पिटल व हाईयर अस्पताल में इलाज हेतु रेफर कर दिया इस सम्बन्ध मे आवेदक द्वारा दिनांक 04.09.2023 को सूचना दिया जिस पर धारा 308 भादवि की तहत मुकदमा पंजीकृत हुआ। दौरान इलाज दिनांक 05.09.2023 को मजरूबा कौशिल्या देवी की मृत्यु हो गयी थी जिस आधार पर 304 भादवि की बढोत्तरी की गई अभियोग मे अभियुक्त चन्दन पुत्र पथरू उपरोक्त वांछित था जिसे आज दिनांक 06.09.2023 समय 11.30 बजे गिरफ्तार किया गया है।

आज दिनांक 06.09.2023 को उ0नि0 शंकर कुमार यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त चन्दन यादव पुत्र पथरू यादव निवासी फुलेहरा थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ को फुलेहरा के पास से समय 11.30 बजे हिरासत में लिया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1-चन्दन यादव पुत्र पथरू यादव निवासी फुलेहरा थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0स0 246/2023 धारा 308 भादवि व बढोत्तरी धारा 304 भादवि थाना कन्धरापुर आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

2. उ0नि0 शंकर कुमार यादव थाना कन्धरापुर आजमगढ़

3. हे0का0 भानू यादव थाना कन्धरापुर आजमगढ़

4. का0 अमित कुमार थाना कन्धरापुर आजमगढ़

थाना- पवई
लड़की को अगवा करने आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास— दिनांक 28.7.2023 को वादी थाना पवई जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया कि दिनांक 26.07.23 की रात को वादी की बहन को विपक्षी नन्देश (नन्दू) पुत्र हरीराम बिन्द द्वारा बहला फुसलाकर कहीं भगा ले गया है, के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 249/23 धारा 363,366 भादवि बनाम नन्देश (नन्दू) पुत्र हरीराम बिन्द निवासी बागबहार थाना पवई जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण

आज दिनांक 06.09.2023 को उ0नि0 गोपाल प्रसाद मौर्या मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त नन्देश बिन्द उर्फ नन्दू पुत्र हरीराम बिन्द निवासी बागबहार थाना पवई जनपद आजमगढ़ को मैगना बाजार से समय 7.30 बजे गिरफ्तार किया गया है अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1-नन्देश बिन्द उर्फ नन्दू पुत्र हरीराम बिन्द निवासी बागबहार थाना पवई जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 249/2023 धारा 363/366/376 भादवि 3/4 पाक्सो एक्ट

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1.उ0नि0 गोपाल प्रसाद मौर्या मय हमरा थाना पवई, आजमगढ़।

थाना- मेंहनगर
चोरी गये सामान के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)- वादिनी मुकदमा श्रीमती राम तारा पत्नी स्व0 मुराली ग्रा0 कटात चक कटात थाना मेंहनगर आजमगढ़ की तहरीरी सूचना कि मेरा दिनांक 27-3-23 को चालान हो गई थी मैं जेल चली गयी थी उसी दौरान मेरे घर से मेरा टुलुपम्प व मेरा ठेला व पानी पीने की मशीन चोरी हो गई थी जब मैं जमानत कराकर वापस आई तो अपने चोरी हुए सामान का पता करने लगे तो पता चला कि मेरा सामान मनीष उर्फ टून्नू पुत्र राजेश उर्फ भुलई यादव सा0 ग्रा0 उमरी गनेशपुर थाना गम्भीरपुर शनी यादव पुत्र विनोद यादव ग्रा0 चकवारा (कुकरही) थाना रानी के सराय व एक आदमी नाम पता अज्ञात द्वारा चोरी की गई है आज दिनांक 5-9-23 को मुझे जानकारी हुई है कि इन लोगो के द्वारा सामान चुराया गया है। के सम्बन्ध में मु.अ.सं. 386/23 धारा 379 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 06.09.23 को उ0नि0 अमित कुमार यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त मनीष उर्फ टून्नू पुत्र राजेश उर्फ भुलई यादव सा0 उमरी गनेशपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ को एक टूल्लु पम्प के साथ मकसूद डिग्री कालेज के पास से 12.05 बजे गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर धारा 411 भादवि की बढोत्तरी की गयी।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु.अ.सं. 386/23 धारा 379/411 भादवि थाना मेंहनगर, आजमगढ़

आपराधिक इतिहास – मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1-मनीष उर्फ टून्नू पुत्र राजेश उर्फ भुलई यादव सा0 उमरी गनेशपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

बरामदगी का विवरण:-

1-एक अदद टूल्लू पम्प

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1-उ0नि0 अमित कुमार यादव मय हमराह थाना मेंहनगर, आजमगढ़।